छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 528/68/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/03/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 दिनांक 09.03.2022

——–000——–

भारत सरकार द्वारा संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्त करने से सबंधित समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 01.04.2022 से केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं में धनराशि के प्रवाह एवं विमुक्त की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी हेतु संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है।

2/ भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दो मॉडल सुझाये गये है, जो क्रमशः मॉडल 1 ट्रेजरी सिंगल एकाउण्ट (टी.एस.ए.) के माध्यम से क्रियान्वयन तथा मॉडल 2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से क्रियान्वयन है। राज्य शासन के एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये संदर्भित ज्ञापन के पैरा 3 अनुसार मॉडल 2 में निर्धारित प्रक्रिया लागू की जानी है।

3/ राज्य के विभागों के माध्यम से संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये संशोधित प्रक्रिया लागू करने हेतु प्रशासकीय विभाग अपने नियंत्रणाधीन विभाग/एजेंसी को संबधित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना हेतु नोडल एजेंसी नामित करेगें।

4/ केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना हेतु भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श अनुसार नवीन दिशानिर्देश में दिये गये प्रावधान के अनुरूप राज्य की नोडल एजेंसी पी.एफ.एम.एस पोर्टल में केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सी.एन.ए.) अथवा सब एजेंसी (एस.ए.) के रूप में चिन्हाकित किया जायेगा। राज्य की नोडल एजेंसी को सी.एन.ए. अथवा एस.ए. के रूप में दिशा–निर्देश अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खोलने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।

5/ केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये राज्य एजेंसियों को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक खाते खोलने हेतु वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की जाती है।

6/ राज्य नोडल एजेंसी पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर मैपिंग अथवा प्रक्रियात्मक जानकारी प्राप्त करने हेतु पी.एफ.एम.एस. के राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से संपर्क कर सकते है तथा आवश्यकतानुसार पी.एफ.एम.एस. यूनिट से समन्वय कर कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगें।

7/ समस्त विभागों से अनुरोध है कि राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये धनराशि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश (संलग्न संदर्भित ज्ञापन) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

25/03/2022

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 529/68/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
13. संयुक्त महालेखा नियंत्रक , पी.एफ.एम.एस. ,राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर ,अटल नगर की ओर सूचनार्थ
14. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

सचिव छ.ग. शासन, वित्त विभाग
पत्र जावक क्रमांक 1036
दिनांक 23/03/2022

F. No. 1(18)/PFMS/FCD/2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

21 MAR 2022
Secy, Finance

North Block, New Delhi
Dated : 9th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised procedure for flow of funds under Central Sector Schemes

In supersession of all previous orders issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance regarding release of funds under the Central Sector Schemes, the following procedure shall be followed w.e.f 1st April, 2022 by the Ministries/ Departments of Government of India for flow of funds under the Central Sector Schemes and monitoring utilization of funds released.

Model – 1 : Implementation through Treasury Single Account (TSA)

2. In case of Central Sector Schemes having annual outlay of more than Rs 500 crores and implemented without involvement of State agencies, it shall be mandatory to implement such schemes through the Treasury Single Account (TSA) model. This will ensure that the funds of these schemes are released "Just-In-Time" from the Consolidated Fund of India (CFI) to the beneficiaries/vendors. The Ministries/Departments may opt for Model-1 for other Central Sector Schemes too in consultation with RBI. For the schemes implemented through this model, the following procedure shall be followed by the Ministries/Departments:

i. For each Central Sector Scheme, the concerned Ministry/Department will designate an Autonomous Body as the Central Nodal Agency (CNA) to implement the scheme.

Add.Sec./Sp.Sec./Jt.Sec./Dy.Sec/U.Sec/Dir.Fin/PA
SS-1
Secretary
Finance Department

ii. If there are other agencies involved in implementation of the scheme down the ladder, which get funds from the CNA, these Implementing Agencies (IAs) will be notified as Sub-Agencies (SAs) of the CNA.

iii. Each CNA will open an account with the Reserve Bank of India (RBI) in e-Kuber. Even in cases where CNA is already registered in the TSA module and has a bank account in e-Kuber for some other grant, it will open separate account in e-Kuber for funds to be provided under each Central Sector Scheme.

iv. The SAs of every CNA will also open scheme-wise bank accounts with RBI in e-Kuber in line with the requirements of para (iii) above.

v. The relevant details of all the accounts of the CNA and SAs opened with RBI shall be mapped in the TSA module of PFMS as per the extant guidelines on TSA.

vi. In respect of funds of Central Sector Schemes, the CNA and SAs shall not open/operate/ park funds in any other bank account except under the provisions made in these guidelines.

vii. RBI will function as the primary banker to the Ministries/ Departments in this regard without involvement of an agency bank.

viii. All these accounts in RBI will be "Assignment Accounts". A limit up to which expenditure can be incurred by the CNA/ sub-agencies shall be assigned to these accounts from time to time by the Pay and Accounts Office (PAO) concerned through PFMS.

ix. Assignment will be based on an expenditure sanction issued by the Programme Division (PD) and the bill preferred by the Drawing and Disbursing Officer (DDO). The e-format of the assignments and Sub-assignments shall have requisite details required for accounting and reconciliation of transactions. The e-Kuber bank account details of the CNA/SAs shall be incorporated in the sanction order.

x. Consequent upon receipt of the sanction order for release of funds to the CNA alongwith bills from the Drawing and Disbursing Officer (DDO), the concerned

Annay

Pay and Accounts Officers (PAOs) shall, through assignments, advise RBI, after exercising all necessary checks, to honour the payment instructions issued by the concerned CNA/SA up to the, "assigned limit" in the advice.

xi. The PAO shall debit the concerned Head of Account for appropriation but not transfer the cash directly to the CNA. It shall be retained in an interim account in respect of the CNA listed under the parent Ministry/ Department in the public account.

xii. The assignments shall be uploaded on the TSA module and received electronically by the CNAs as per the existing protocols of TSA module. The CNA may issue e-Sub-assignments in PFMS against this assignment setting limits of expenditure for the SAs.

xiii. CNAs & SAs shall adhere to all due process while incurring expenditure from the assignment limit sanctioned through PFMS. CNAs shall also ensure that sufficient limit is available in the relevant account before issue of assignment to SAs.

xiv. The system will be digital and fully online on PFMS with no physical flow of assignments to RBI or expenditure by CNAs/SAs on assignment basis. The electronic file containing a unique sanction ID and necessary details of the sanction order will travel directly from PAO to RBI and concerned CNAs. RBI will maintain individual ledgers in respect of the accounts of the CNAs for watching the availability of assignment.

xv. PFMS Division in CGA will design requisite reports to enable all Program Division (PDs), Pay & Accounts Officers (PAOs), and other stakeholders to view details of sanction orders, summary and budget balance of assignments/sub-assignments, and expenditure details.

xvi. Ministries/ Departments administering the schemes concerned should strive to make realistic estimation of Budget under the Central Sector schemes and issue sanction orders according to actual requirements. The savings in the assignments should be anticipated well in advance particularly in the third quarter of

Sanjay

Financial Year and Ministries/Departments shall ensure suitable savings/surrenders are informed to Budget Division during the pre-budget meetings.

xvii. Control of limits shall be at the Standard Object Head level.

xviii. Unutilized assignments will lapse to the Government at the close of the Financial Year as per the extant norms of Budget execution and will not be available to the CNAs /SAs for expenditure in the next financial year. In PFMS too, all e-assignments/e-sub assignments shall cease to exist after the close of financial years and shall be flushed out from the system as per the current practice in TSA module.

xix. In respect of some transactions like payment of TDS, Income Tax and GST, Opening of Letter of Credit in favour of foreign suppliers, scholarships to foreign students not having account in India, and payment of salaries of the month of March to be paid in 1st week of April, CNAs/SAs may utilize the services of their existing account at commercial banks. They may transfer funds "just in time" to the extent required for meeting such transactions. However, in no case the money transferred under this provision will be parked in a Commercial Bank beyond a period of two weeks.

xx. Unutilized amount of past releases under the scheme available in the bank account of CNA & SAs shall be deposited in the Consolidated Fund of India.

Model – 2: Implementation through scheduled commercial banks

3. In case of Central Sector Schemes having (a) annual outlay of less than Rs 500 crores or (b) the schemes are being implemented by agencies of the State Governments exclusively or in addition to the central agencies or (c) other schemes not covered in Model-I, the following procedure will be followed by the Ministries/ Departments :

(i) Every Ministry/ Department will designate a Central Nodal Agency (CNA) for implementing each Central Sector Scheme. The CNA will open a Central Nodal Account for each Central Sector Scheme in a scheduled commercial bank authorized to conduct Government business by the Ministry/ Department concerned.

(ii) Implementing Agencies (IAs) down the ladder will be designated as Sub-Agencies (SAs). The SAs will use the CNA's accounts with clearly defined drawing limits set for that account. However, depending upon operational requirements, zero balance subsidiary accounts for each scheme may also be opened by the SAs.

(iii) All zero balance subsidiary accounts will have allocated drawing limits to be decided by the CNA concerned from time to time and will draw on real time basis from the Central Nodal Account of the scheme as and when payments are to be made to beneficiaries, vendors etc. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.

(iv) For seamless management of funds, the main account and all zero balance subsidiary accounts should be maintained with the same bank. However, Ministry/ Department may choose different banks for opening Central Nodal Accounts of different Central Sector Schemes.

(v) Only banks having a robust IT system and adequate branch network should be chosen for opening Central Nodal Account and the zero balance accounts of SAs of each Central Sector Scheme. The bank chosen should have the facility to open the required number of subsidiary zero balance accounts and a robust MIS for handling accounting and reconciliation at each level. The bank should also provide necessary reports and a user-friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by SAs.

(vi) The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the SAs who should be able to draw funds on real time basis from the CNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure

Rrrayb

proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts.

(vii) Ministries/ Departments will release the scheme funds for each Central Sector Scheme to the account of CNA concerned strictly on the basis of requirement, keeping in view the balance funds of the scheme available with the CNA as per PFMS or scheme-specific portals fully integrated with PFMS in consonance with Rule 232(v) and 230(vii) of the General Financial Rules, 2017.

(viii) The Ministries/ Departments and the CNAs shall ensure that the interest earned from the funds released is mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. The interest component shall be distinctly reflected in the MIS provided by the banks.

(ix) The Ministries/ Departments shall release the funds as far as possible in 'Just-In-Time' manner keeping the float in CNAs account to the minimum possible and shall in no case release more than 25% of the amount earmarked for the scheme in a financial year at a time. Additional funds (not more than 25% at a time) will be released only upon utilization of at least 75% of the funds released earlier and in compliance with the conditions of previous sanction.

(x) For administrative convenience and efficiency the Program Division may obtain approval of the competent authority and concurrence of the Financial Advisor for more than 25% at a time. But release of funds shall not exceed 25% in one instalment.

(xi) After opening of Central Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of SAs or assigning them drawing rights from CNA's account, the SAs at all levels shall return all unspent amounts of the scheme lying in their accounts to the Central Nodal Account of the CNA.

(xii) It will be the responsibility of the Ministry/ Department concerned to ensure that the entire unspent amount of the scheme is returned by all the SAs to the Central Nodal Account of the CNA concerned before releasing funds to CNAs.

(xiii) Ministries/ Departments will ensure that releases under all Central Sector Schemes are made strictly as per the actual requirement on the ground, without resulting in any material float with the implementing agencies at any level.

(xiv) Ministry/ Department will register the CNAs and all SAs on PFMS and use the unique PFMS ID assigned to the CNA and SAs for making all payments to them. Bank accounts of the CNAs, SAs, vendors and other organisations receiving funds will also be mapped in PFMS.

(xv) Payments will be made from the zero balance subsidiary accounts up to the drawing limit assigned to such accounts from time to time. Transactions in each Subsidiary Account will be settled with the Central Nodal Account daily through the core banking solution (CBS) on the basis of payments made during the day.

(xvi) CNAs and SAs will mandatorily use the EAT module of PFMS or integrate their systems with the PFMS to ensure that information on PFMS is updated by each SA at least once every day.

(xvii) CNAs will keep all the funds received in the Central Nodal Account only and shall not transfer the funds to any other account or not divert the same to Fixed Deposits/ Flexi-Account/ Multi-Option Deposit Account/ Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account etc. The funds released to CNA shall not be parked in bank account of any other agency.

(xviii) Release of funds by the Ministries/ Departments towards the end of the financial year should be avoided to prevent accumulation of unspent balances with CNAs.

4. UTs without legislature work directly in PFMS and should be given Letter of Authorization (LoA). There is no need for them to open a Central Nodal Account. They will ensure that the funds are released on the basis of LoA to the vendors/ beneficiaries 'Just-In-Time'.

5. Secretaries are requested to, and Financial Advisors of Ministries/ Departments shall, undertake monthly review of strict implementation of these guidelines, opening of

Naray

accounts in RBI, issue of authorization or release of funds to the CNA, utilization of funds by CNAs and IAs and outputs/ outcomes vis-a-vis the targets of each Central Sector Scheme.

6. Gradually, schemes in Model-2 are expected to move to Model-1 depending on readiness of RBI and Ministries for which necessary orders will be issued separately by the Department of Expenditure.

7. The following categories of Central Sector Schemes will be exempted from following these guidelines and may continue in existing mode:

(i) Central Sector Schemes being implemented by Ministries/ Departments in Direct Benefit Transfer (DBT) mode or reimbursement mode.

(ii) Central Sector Schemes involving payment of equity share or extension of loan by the Government to a company.

(iii) Central Sector Schemes where 100% payments are made by the Ministry/Department directly to the vendors/beneficiaries against the bills/claims raised by the vendors/beneficiaries.

(iv) Central Sector Schemes where funds are transferred by the Ministry/Department directly to multiple Implementing Agencies (IAs) and amount transferred to any agency does not exceed Rs. 10 lakhs per annum.

(v) Central Sector Schemes in which funds are transferred to the Indian Missions abroad for implementation of the scheme.

(vi) Central Sector Schemes being implemented exclusively from a corpus/revolving fund approved by the Cabinet.

(vii) Central Sector Schemes where expenditure is based on authorization and is incurred on real time basis with no float. However, in such cases Ministry/Department shall avoid the mode of transfer of funds through Civil Deposit and the option of Letter of Authorization should be adopted.

8. In cases where there is no Central Autonomous Body in a Ministry/Department or where the Ministry/Department wishes to implement the scheme directly through State Government agencies, such State Government agency will be designated as CNA. However, there shall not be more than one CNA per State. The funds in such cases will be released by the Ministry/Department to the CNA directly and not through state treasury

9. An illustrative list of roles and responsibilities of CNAs is given in Annexure-I.

10. This issues with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

(Abhay Kumar)
Director
Tel. No. 24360647

To

1. Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
2. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Department of Government and Bank Accounts
3. Controller General of Accounts, Department of Expenditure, INA, New Delhi
4. Financial Advisers of all Ministries/Departments of Government of India
5. Additional CGA (PFMS), O/o CGA with the request to take immediate steps for carrying out necessary change in PFMS and designing requisite reports.
6. Additional CGA (GBA), O/o CGA with the request to take necessary steps to implement model 1 of the Guidelines.
7. All Principal CCAs/CCAs of Ministries/Departments

Copy to:

1. Chief Secretaries of all States/Union Territories
2. Principal Secretary Finance of all States/Union Territories

Copy for information:

1. PSO to Secretary (Expenditure)
2. PSO to Special Secretary (Pers.)
3. Sr. PPS to AS (PFC-II)
4. Sr. PPS to AS (PF-S)

Annexure

Role and Responsibilities of CNA

Modified Fund Flow Guidelines for Central Sector Schemes

1. **Model 1 – Treasury Single Account (TSA) Model**
   a. Open Account with RBI in e-Kuber for each scheme under which it receives grant
   b. Mandatorily use TSA Module of PFMS
   c. Map the RBI Account details in TSA Module of PFMS
   d. Receive (electronically in TSA Module) the assignment done by the PAO
   e. Approve the account and scheme mapping of sub-Agencies at Level 1
   f. Issue e-Sub-assignments against the assignment setting limits of expenditure for the sub-Agencies
   g. Ensure funds are not transferred/parked in any other account except as per the guidelines
   h. Process payments by adhering to due process
   i. If existing accounts with commercial banks is to be used for specified purposes in the guidelines (such as payment of TDS, IT and GST, opening of LoC for foreign suppliers etc.), funds shall be transferred just-in-time and, in no case, parked beyond two weeks.
   j. All such unutilized funds (as above) shall be deposited back to the Consolidated Fund of India.
2. **Model 2 – through Scheduled Commercial Banks (SCBs)**
   a. Open Account with a SCB authorized to do Government business, for each scheme under which it receives grant
   b. Mandatorily use REAT Module of PFMS or integrate own IT system with PFMS for exchange of information (contact PFMS Rollout for details)
   c. Approve the account and scheme mapping of sub-Agencies at Level 1
   d. Approve the scheme mapping of all sub-Agencies using the CNA's Account

e. Allocate limits for Level 1 sub-Agencies and all other sub-Agencies using the Central Nodal Account

f. Ensure funds are not transferred/parked in any other account of any Agency

g. Submit UCs after utilization of the funds that were transferred in the Central Nodal Account

h. Ensure that interest earned from the funds released is remitted to the Consolidated Fund of India

3. One time activity –

a. Ensure refund of unspent balance of lower level Agencies to the Central Nodal Account. This is needed after opening of the Central Nodal Account and other Zero Balance Subsidiary Accounts, and prior to assigning the drawing rights to sub-Agencies.

******

GoI MoF DoE OM F No.1(18)/PFMS/FCD/2021 Dtd 09.03.2021

हिंदी रूपांतरण

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के तहत राशि विमुक्त करने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी पिछले आदेशों के अधिक्रमित करते हुये दिनांक 01.04.2022 से भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों द्वारा केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के प्रवाह और विमुक्त की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए निम्नलिखित संशोधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

मॉडल-1 :- ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टी.एस.ए.) के माध्यम से कार्यान्वयन

2. 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित योजनाओं के मामले में, ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टी.एस.ए.) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन योजनाओं की धनराशि वास्तविक आवश्यकता के समय (जस्ट-इन-टाइम) भारत की संचित निधि (सी.एफ.आई.) से लाभार्थियों/विक्रेताओं को जारी की जावे। मंत्रालय/विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए भी मॉडल-1 का विकल्प चुन सकते हैं। इस मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

I. प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के लिए, संबंधित मंत्रालय/विभाग योजना को लागू करने के लिए एक स्वायत्त निकाय को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सी.एन.ए.) के रूप में नामित करेंगे।

II. यदि योजना के कार्यान्वयन में नीचे अन्य एजेंसियां शामिल हैं, जो सी.एन.ए. से धन प्राप्त करती हैं, तो इन कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को सी.एन.ए. की उप-एजेंसियों (एस.ए.) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

III. प्रत्येक सी.एन.ए. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ई-कुबेर में एक खाता खोलेगा। प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत प्रदान की जाने वाली निधियों के लिए ई-कुबेर में अलग खाता उन मामलों में भी खोले जायेंगे, जहां सी.एन.ए. पहले से टी.एस.ए. मॉड्यूल में पंजीकृत है और जिनका ई-कुबेर में किसी अन्य अनुदान के लिए एक बैंक खाता है।

IV. प्रत्येक सी.एन.ए. के एस.ए. भी ऊपर पैरा (III) की आवश्यकताओं के अनुरूप ई-कुबेर में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ योजना-वार बैंक खाते खोलेंगे। ।

V. आर.बी.आई. के साथ खोले गए सी.एन.ए. और एस.ए. के सभी खातों का प्रासंगिक विवरण टी.एस.ए. पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एफ.एम.एस. के टी.एस.ए. मॉड्यूल में मैप किया जाएगा।

VI. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की निधियों के संबंध में, सी.एन.ए. और एस.ए. इन दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अलावा किसी अन्य बैंक में खाते नहीं खोलेंगे /खाते संचालित नहीं करेंगे/ निधियां जमा (पार्क) नहीं रखेंगे।

VII. आर.बी.आई. इस संबंध में किसी एजेंसी बैंक की भागीदारी के बिना मंत्रालयों/विभागों के प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करेगा।

VIII. आर.बी.आई. में ये सभी खाते "असाइनमेंट अकाउंट्स" होंगे। सी.एन.ए./उप-एजेंसियों (एस.ए) को इन खातों में व्यय हेतु एक सीमा तक राशि समय-समय पर पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) द्वारा सौंपी (असाइन की) जाएगी।

IX. असाइनमेंट (व्यय हेतु एक सीमा तक सी.एन.ए./एस.ए. को सौंपी गई राशि) कार्यक्रम प्रभाग (पी.डी.) द्वारा जारी व्यय स्वीकृति और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा अधिमानित देयक पर आधारित होगा। असाइनमेंट और सब-असाइनमेंट के ई-फॉर्मेट में लेन-देन (Transactions) के लेखांकन (Accounting) और मिलान (Reconciliation) के लिए आवश्यक विवरण होंगे। स्वीकृति आदेश में सी.एन.ए./एस.ए. के ई-कुबेर बैंक खाते के विवरण को शामिल किया जाएगा।

X. सी.एन.ए. को निधियां जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश एवं आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) से देयक प्राप्त होने पर संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) असाइनमेंट के माध्यम से आवश्यक जांच करने के बाद आर.बी.आई. को संबंधित सी.एन.ए./एस.ए. को असाइन की गई सीमा तक भुगतान हेतु एडवाइस जारी करेंगे।

XI. पी.ए.ओ. द्वारा विनियोग के लिए संबंधित लेखा शीर्ष को डेबिट किया जावेगा परन्तु राशि सीधे सी.एन.ए. को हस्तांतरित नहीं की जावेगी। मौलिक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध सी.एन.ए. के संबंध में अंतरिम खाते में यह राशि लोक लेखें में रखा जाएगा।

XII. असाइनमेंट को टी.एस.ए. मॉड्यूल पर अपलोड किया जाएगा और टी.एस.ए. मॉड्यूल के मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार सी.एन.ए. द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा। एस.ए. के लिए व्यय की सीमा निर्धारित करने हेतु सी.एन.ए. इस असाइनमेंट के विरुद्ध पी.एफ.एम.एस. में ई-सब-असाइनमेंट जारी कर सकता है।

XIII. पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से स्वीकृत असाइनमेंट सीमा से व्यय करते समय सी.एन.ए. और एस.ए. सभी विहित प्रक्रिया का पालन करेंगे। एस.ए. को असाइनमेंट जारी करने से पहले सी.एन.ए. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित खाते में पर्याप्त असाइनमेंट सीमा उपलब्ध है।

XIV. पी.एफ.एम.एस. पर यह प्रणाली डिजिटल और पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें आर.बी.आई. को असाइनमेंट अथवा सी.एन.ए./एस.ए. के असाइनमेंट आधारित व्यय का कोई भौतिक प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल जो एक यूनिक स्वीकृति आईडी और स्वीकृति आदेश के आवश्यक विवरण से युक्त होगी सीधे पी.ए.ओ. से आर.बी.आई. और संबंधित सी.एन.ए. तक जाएगी। आर.बी.आई. असाइनमेंट की उपलब्धता को देखने के लिए सी.एन.ए. के खातों के संबंध में अलग-अलग खाता (लेजर) बनाए रखेगा।

XV. सी.जी.ए. (कार्यालय महालेखानियंत्रक) में पी.एफ.एम.एस. डिवीजन सभी अपेक्षित रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कार्यक्रम प्रभाग (पी.डी.), वेतन और लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.) और अन्य हितधारक स्वीकृति आदेश के विवरण , असाइनमेंट/ सब-असाइनमेंट के सारांश व बजट बैलेंस और व्यय के विवरण देख सकेंगे।

XVI. संबंधित योजनाओं को संचालित करने वाले मंत्रालयों/विभागों को केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के तहत बजट का वास्तविक अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करना चाहिए। असाइनमेंट में बचत का अनुमान पर्याप्त पहले, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में लगाया जाना चाहिए और मत्रालयों/विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए उपयुक्त बचत/समर्पण की राशि की सूचना बजट प्रभाग को बजट पूर्व बैठकों के दौरान दे दिए जाए।

XVII. सीमा का नियंत्रण मानक उद्देश्य शीर्ष स्तर पर होगा।

XVIII. बजट निष्पादन के मौजूदा मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त असाइनमेंट सरकार को व्यपगत हो जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए सी.एन.ए./एस.ए. को उपलब्ध नहीं होंगे। पी.एफ.एम.एस. में भी, सभी ई-असाइनमेंट/ई-सब-असाइनमेंट वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे और टी.एस.ए. मॉड्यूल में मौज़दा प्रचलन के अनुसार सिस्टम से बाहर हो जाएंगे।

XIX. कुछ लेन-देन जैसे- टी.डी.एस., आयकर और जी.एस.टी. का भुगतान, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साख पत्र जारी करना, भारत में खाता नहीं रखने वाले विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देय मार्च माह के वेतन के भुगतान के सम्बंध में सी.एन.ए./एस.ए. वाणिज्यिक बैंकों में अपने मौजूदा खातों का उपयोग कर सकते हैं। वे इन लेनदेनों को पूर्ण करने हेतु वास्तविक आवश्यकता की सीमा तक तत्समय इनमें धन हस्तांतरित

कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रावधान के अंतर्गत हस्तांतरित धन किसी भी स्थिति में दो सप्ताह की अवधि से अधिक वाणिज्यिक बैंक में नहीं रखा जाएगा।

XX. योजनांतर्गत सी.एन.ए. और एस.ए. के बैंक खाते में उपलब्ध अंतिम विमुक्तियों की अप्रयुक्त राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

मॉडल-2 :- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वयन

3. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के मामले में जहाँ (अ) 500 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक परिव्यय या (ब) योजनाएं जो राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा अनन्यतः अथवा केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त कार्यान्वित की जा रही हैं या (स) अन्य योजनाएं जो मॉडल-1 में सम्मिलित नहीं है, के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

I. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को लागू करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सी.एन.ए.) नामित करेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शासकीय व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सी.एन.ए. प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के लिए एक केंद्रीय नोडल खाता खोलेगा।

II. कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को श्रेणी में नीचे उप-एजेंसियों (एस.ए.) के रूप में नामित किया जाएगा। एस.ए. खातों के लिए निर्धारित स्पष्ट परिभाषित आहरण सीमा के साथ सी.एन.ए. के खातों का उपयोग करेंगे। हालांकि, परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, एस.ए. द्वारा प्रत्येक योजना के लिए जीरो बैलेंस सहायक खाते (Zero Balance Subsidiary Account) भी खोले जा सकते हैं।

III. सभी जीरो बैलेंस सहायक खातों में समय-समय पर संबंधित सी.एन.ए. द्वारा तय आहरण सीमाएं आबंटित की जाएंगी और जब भी लाभार्थियों, विक्रेताओं आदि को भुगतान किया जाएगा तो ये वास्तविक समय पर योजना के केंद्रीय नोडल खाते से आहरण करेंगे। व्यय हेतु उपलब्ध आहरण सीमा किये गये उपयोग की सीमा तक कम हो जाएगी।

IV. निधियों के निर्बाध प्रबंधन के लिए, मुख्य खाता और सभी जीरो बैलेंस सहायक खातों को एक ही बैंक में रखा जाना चाहिए। हालांकि, मंत्रालय/विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के केंद्रीय नोडल खाते खोलने के लिए अलग-अलग बैंकों का चयन कर सकते हैं।

V. एक मजबूत आई.टी. प्रणाली और पर्याप्त शाखा नेटवर्क वाले बैंकों को ही प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के केंद्रीय नोडल खाता और एस.ए. के जीरो बैलेंस खाते खोलने हेतु चुना जाना चाहिए। चयनित बैंक के पास आवश्यक संख्या में सहायक जीरो बैलेंस खाते खोलने की सुविधा होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर लेखांकन और मिलान को संभालने हेतु एक मजबूत एम.आई.एस. होना चाहिए। एस.ए. द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए बैंक को अधिकारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक रिपोर्ट और एक उपयोगकर्ता अनुकूल डैशबोर्ड प्रदान करना चाहिए।

VI. बैंक का सॉफ्टवेयर सिस्टम एस.ए. की आहरण सीमाओं की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए जो वास्तविक समय पर सी.एन.ए. के खाते से भुगतान आवश्यक होने पर राशि आहरण करने में सक्षम हो। चयनित बैंक को इन खातों के सुचारू संचालन हेतु शाखा प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

VII. मंत्रालय/विभाग प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना की संबंधित सी.एन.ए. के खाते में राशि की विमुक्ति कड़ाई से आवश्यकता के आधार पर, पीएफएमएस अथवा योजना विशिष्ट पोर्टल जो जी.एफ.आर., 2017 के नियम 232(v) और 230(vii) के अनुरूप पी.एफ.एम.एस. से पूर्णतः एकीकृत हो के अनुसार सी.एन.ए. के खाते में शेष राशि को ध्यान में रखते हुए करेंगे।

VIII. मंत्रालयों/विभागों और सी.एन.ए. सुनिश्चित करेंगे कि विमुक्त राशि से अर्जित ब्याज जी.एफ.आर., 2017 के नियम 230(8) के अनुसार भारत की संचित निधि में अनिवार्य रूप से जमा किया गया है। ब्याज घटक बैंकों द्वारा एम.आई.एस. में पृथक से दर्शाया जावे।

IX. मंत्रालयों/विभागों को यथासंभव वास्तविक आवश्यकता के समय (जस्ट इन टाइम) राशि विमुक्ति करनी चाहिए ताकि सी.एन.ए. खाते में प्रवाह न्यूनतम रखा जावे और किसी भी स्थिति में एक बार में वित्तीय वर्ष में योजना के लिए निर्धारित राशि का 25% से अधिक जारी नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त राशि (एक बार में 25% से अधिक नहीं) पहले विमुक्त राशि के कम से कम 75% के उपयोग और पिछली स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन पर ही विमुक्त की जाएगी।

X. प्रशासनिक सुविधा और दक्षता के लिए कार्यक्रम प्रभाग (पी.डी.) एक बार में 25% से अधिक के लिए सक्षम प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार की सहमति का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक किश्त में राशि विमुक्ति 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

XI. योजना का केंद्रीय नोडल खाता खोलने के बाद और एस.ए. के जीरो बैलेंस सहायक खाता खोलने अथवा उन्हें सी.एन.ए. के खाते से आहरण अधिकार सौंपने के पूर्व, सभी स्तरों पर

एस.ए. अपने खातों में पड़ी योजना की सभी अव्ययित राशि को सी.एन.ए. के केंद्रीय नोडल खाते को वापस कर देंगे।

XII. सी.एन.ए. को राशि विमुक्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग की होगी कि योजना की पूरी अव्ययित राशि सभी एस.ए. द्वारा संबंधित सीएनए के केंद्रीय नोडल खाता को वापस कर दी जाए।

XIII. मंत्रालय/विभाग सुनिश्चित करेंगे कि सभी केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की राशि विमुक्ति धरातल पर वास्तविक आवश्यकतानुसार सख्ती से की जावे ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ किसी भी स्तर पर कोई भौतिक प्रवाह नहीं हो।

XIV. मंत्रालय/विभाग सी.एन.ए. और समस्त एस.ए. को पी.एफ.एम.एस. पर पंजीकृत करेगा और सी.एन.ए. और एस.ए. को सौंपें गये यूनिक पी.एफ.एम.एस. आईडी का उपयोग उनके सभी भुगतान करने के लिए करेगा। सी.एन.ए., एस.ए., वेंडरों और राशि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों की भी मैपिंग पी.एफ.एम.एस. में की जाएगी।

XV. जीरो बैलेंस सहायक खातों से भुगतान इन खातों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट आहरण सीमा तक किया जाएगा। दैनिक भुगतान के आधार पर प्रत्येक सहायक खाते में किये गये लेन-देन का केंद्रीय नोडल खाते के साथ निपटान कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के माध्यम से रोजाना किया जाएगा।

XVI. सी.एन.ए. और एस.ए. अनिवार्य रूप से पी.एफ.एम.एस. के ई.ए.टी. मॉड्यूल का उपयोग करेंगे अथवा अपने सिस्टम को पी.एफ.एम.एस. के साथ एकीकृत करेंगे ताकि प्रत्येक एसए द्वारा पी.एफ.एम.एस. पर जानकारी प्रतिदिन न्यूनतम एक बार अपडेट किया जाना सुनिश्चित हो सके।

XVII. सी.एन.ए. प्राप्त सभी निधियों को केवल केंद्रीय नोडल खाते में रखेगा और निधियों को किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं करेगा अथवा इसे सावधि जमा /फ्लेक्सी-खाता /बहु-विकल्प जमा खाता /कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा (सीएलटीडी) खाते आदि में रूपांतरित नहीं करेगा। सी.एन.ए. को जारी की गई धनराशि किसी अन्य एजेंसी के बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी।

XVIII. वित्त वर्ष के अंत में मंत्रालयों/विभागों को राशि विमुक्ति से बचना चाहिए ताकि सी.एन.ए. के पास अव्ययित राशि के संचय को रोका जा सके।

4. बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जो सीधे पीएफएमएस में काम करते हैं और उन्हें प्राधिकार पत्र (एल.ओ.ए.) दिया जाना चाहिए। उन्हें केंद्रीय नोडल खाता खोलने की कोई

आवश्यकता नहीं है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निधियां एल.ओ.ए. के आधार पर वेंडरों/लाभार्थियों को 'जस्ट-इन-टाइम' जारी की जाती हैं।

5. मन्त्रियों से अनुरोध है और मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार इन दिशानिर्देशों के सख्त कार्यान्वयन की मासिक समीक्षा करेंगे- आरबीआई में खाते खोलने, सी.एन.ए. को प्राधिकार या राशि जारी करना, प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में सी.एन.ए. और आई.ए. द्वारा निधियों का उपयोग और आउटपुट/परिणाम।

6. धीरे-धीरे, आर.बी.आई. और मंत्रालयों की तैयारी के आधार पर मॉडल-2 की योजनाओं को मॉडल -1 में ले जाने की उम्मीद है, जिसके लिए व्यय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

7. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को इन दिशानिर्देशों के पालन से छूट दी जाएगी और मौजूदा मोड में जारी रह सकते हैं:-

I. मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड या प्रतिपूर्ति मोड पर कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं।

II. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जिनमें सरकार द्वारा एक कंपनी को इक्विटी शेयर का भुगतान या ऋण का विस्तार शामिल है ।

III. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जहां मंत्रालय/विभाग द्वारा विक्रेताओं/लाभार्थियों द्वारा किए गए बिलों/दावों के विरुद्ध सीधे विक्रेताओं/लाभार्थियों को 100% भुगतान किया जाता है।

IV. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जहां मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे कई कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) को धन हस्तांतरित किया जाता है और किसी भी एजेंसी को हस्तांतरित राशि प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।

V. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जिनमें विदेश में योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय मिशनों को धन हस्तांतरित किया जाता है।

VI. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जो विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक कोष/परिक्रामी निधि (Revolving Fund) से लागू की जा रही हैं।

VII. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं जहां व्यय प्राधिकार आधारित है और बिना किसी प्रवाह के वास्तविक समय के आधार पर किया जाता है। हालांकि, ऐसे मामलों में मंत्रालय/विभाग को सिविल जमा के माध्यम से धन के हस्तांतरण के तरीके से बचना चाहिए और प्राधिकार पत्र के विकल्प को अपनाया जाना चाहिए।

8. ऐसे मामलों में जहां किसी मंत्रालय/विभाग में कोई केंद्रीय स्वायत्त निकाय नहीं है या जहां मंत्रालय/विभाग राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से सीधे योजना को लागू करना चाहता है, ऐसी राज्य सरकार की एजेंसी को सी.एन.ए. के रूप में नामित किया जाएगा। हालांकि, प्रति राज्य एक से अधिक सी.एन.ए. नहीं होंगे। ऐसे मामलों में राशि राज्य के खजाने के माध्यम से नहीं होकर मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे सी.एन.ए. को जारी किया जाएगा।

9- सी.एन.ए. की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की एक निदर्शी सूची अनुलग्नक - I में दी गई है।

10- यह वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अनुलग्नक - I

सी.एन.ए. की भूमिका और उत्तरदायित्व

केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए संशोधित निधि प्रवाह दिशानिर्देश

1. मॉडल 1 - ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल

a. प्रत्येक योजना जिसके अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया जाता है, के लिए ई-कुबेर में आरबीआई के साथ खाता खोलना।

b. पीएफएमएस के टीएसए मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना।

c. पीएफएमएस के टीएसए मॉड्यूल में आरबीआई खाते के विवरण को मैप करना।

d. पीएओ द्वारा किए गए असाइनमेंट को प्राप्त करना (इलेक्ट्रॉनिक रूप से टीएसए मॉड्यूल में)।

e. लेवल 1 उप-एजेंसियों के खाते और योजना की मैपिंग का अनुमोदन करना।

f. असाइनमेंट के विरुद्ध उप-एजेंसियों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित करने हेतु ई-सब-असाइनमेंट जारी करना।

g. सुनिश्चित करना कि दिशा-निर्देशों के उपबंधित के अतिरिक्त किसी अन्य खाते में राशि हस्तांतरित/पार्क नहीं किया गया है।

h. नियत प्रक्रिया का पालन करके भुगतान की प्रक्रिया करना।

i. यदि दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के मौजूदा खातों का उपयोग किया जाना है (जैसे टीडीएस,

j. आईटी और जीएसटी का भुगतान, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एलओसी खोलना आदि), तो धनराशि को वास्तविक समय पर स्थानांतरित करना और किसी भी स्थिति में राशि दो सप्ताह से अधिक पार्क नहीं रखना।

k. ऐसी सभी अप्रयुक्त राशि को (जैसा कि ऊपर बताया गया है) को भारत की संचित निधि में वापस जमा करना।

2. मॉडल 2 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के माध्यम से

a. प्रत्येक योजना जिसके अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया जाता है, के लिए शासकीय व्यवसाय करने हेतु अधिकृत अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के साथ खाता खोलना।

b. पीएफएमएस के आरईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना अथवा सूचना के आदान-प्रदान के लिए पीएफएमएस के साथ अपने आईटी सिस्टम को एकीकृत करना (विवरण के लिए पीएफएमएस रोलआउट से संपर्क करें)।

c. लेवल 1 उप-एजेंसियों के खाते और योजना की मैपिंग का अनुमोदन करना।

d. सीएनए के खाते का उपयोग करके सभी उप-एजेंसियों की योजना मैपिंग का अनुमोदन करना।

e. सीएनए के खाते का उपयोग करके लेवल 1 उप-एजेंसियों और अभी अन्य उप-एजेंसियों को सीमाओं का आबंटन करना।

f. सुनिश्चित करना कि किसी एजेंसी के किसी अन्य खाते में राशि हस्तांतरित/पार्क नहीं किया गया है।

g. केंद्रीय नोडल खाते में हस्तांतरित की गई राशि के उपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

h. विमुक्त राशि से अर्जित ब्याज की राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करना।

3. एक बार की गतिविधि

a. निचले स्तर की एजेंसियों के अव्ययित राशि को केंद्रीय नोडल खाते में वापस करना सुनिश्चित करना। यह केंद्रीय नोडल खाता और अन्य ज़ीरो बैलेंस सहायक खाते खोलने के पश्चात तथा उप-एजेंसियों को आहरण अधिकार सौंपने से पूर्व आवश्यक है।

(टीप - कृपया मूल ज्ञापन का सन्दर्भ लेवे)